न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर), जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम: महीपाल सिंह, आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या: 87 / 2022
निर्णय दिनांक: 20.12.2023

1. मदनलाल पुत्र बद्रीनारायण, जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम देवलिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. ग्यारसीलाल पुत्र गिरधारी, जाति बैरवा, निवासी ग्राम पालडी परसा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. चिरंजीलाल पुत्र चौथू, जाति बैरवा, निवासी ग्राम पालडी परसा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. दिव्या नायक पुत्री रतनलाल नायक नाबालिग जरिये संरक्षक पिता रतनलाल नायक पुत्र गुलाबचन्द, जाति नायक, निवासी शिवाजी चौक, ब्रह्मपुरी खुर्रा, जयपुर।
4. नाथूलाल पुत्र मंगलाराम, जाति बैरवा, निवासी ग्राम पालडी परसा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. रमेश पुत्र चौथू, जाति बैरवा, निवासी ग्राम पालडी परसा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
6. रामनारायण पुत्र बिरदा, जाति बैरवा, निवासी ग्राम पालडी परसा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
7. गोपीराम पुत्र सूजा, जाति जाट, निवासी ग्राम टीलावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
8. लल्लू पुत्र हरदेव, जाति जाट, निवासी ग्राम टीलावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
9. श्री किशन पुत्र हरदेव, जाति जाट, निवासी ग्राम टीलावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
10. रामचन्द्र पुत्र हरनाथ, जाति जाट, निवासी ग्राम टीलावास, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
11. गल्लूराम पुत्र श्रवण, जाति बैरवा, निवासी ग्राम पालडी परसा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
12. जीवण पुत्र भौमा, जाति बैरवा, निवासी ग्राम पालडी परसा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
13. नवरतन पुत्र श्रवण, जाति बैरवा, निवासी ग्राम पालडी परसा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:52:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

14. बसन्ती देवी पत्नी ताराचन्द बैरवा, जाति बैरवा, निवासी ग्राम पालडी परसा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

15. रामलाल पुत्र भौमा, जाति बैरवा, निवासी ग्राम पालडी परसा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

16. सीताराम पुत्र श्रवण, जाति बैरवा, निवासी ग्राम पालडी परसा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

17. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र बाबत् सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पालडी परसा, पटवार हल्का देवलिया, भू–अभिलेख निरिक्षक ठीकरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर स्थित कृषि भूमि खाता संख्या 95/66 में भूमि खसरा नम्बर 1010 रकबा 2.9600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1014 रकबा 1.9300 हैक्टेयर, कुल किता 2 रकबा 4.8900 हैक्टेयर के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार प्रार्थी है। इसी प्रकार का इन्द्राज राजस्व जमाबन्दी 2074–2077 जमाबन्दी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी में अंकित है। प्रार्थी ने अपनी उक्त आराजी कृषि भूमि का उप–तहसीलदार बगरू के आदेश क्रमांक/सीमाज्ञान/08/814 दिनांक 25.04.2022 के द्वारा सीमाज्ञान दिनांक 09.05.2022 को करवाया गया जिसके अनुसार प्रार्थी काबिज काश्त है। उक्त भूमि के पूर्व दिशा में खसरा नम्बर 1009 स्थित है जिसके खातेदार अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 है, उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 1008 स्थित है जिसके खातेदार अप्रार्थी संख्या 7 लगायत 9 है, दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 1007, 1011, 1013 स्थित है जिसके खातेदार अप्रार्थी संख्या 10 लगायत 16 है, दक्षिण दिशा में ग्राम जैजसपुरा की भूमि स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 16 आये दिन प्रार्थी की खातेदारी भूमि में दखल अन्दाजी करते रहते है और जबरन कब्जा करने का प्रयास करते है जिस कारण प्रार्थी अपनी आराजी कृषि भूमि को सुरक्षित रखने के लिए उक्त भूमि पर स्थाई सीमाचिन्ह कायम करवाकर पत्थरगढी करवाना चाहता है और उक्त भूमि पर तारबन्दी करना चाहता है जिससे भविष्य में कोई पडौसी खातेदार काश्तकार किसी भी प्रकार का वाद विवाद नही करे इसलिए प्रार्थी को उक्त भूमि पर स्थाई सीमाचिन्ह कायम करवाया जाकर पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता हो गई है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर कृषि भूमि खाता संख्या 95/66 में भूमि खसरा नम्बर 1010 रकबा 2.9600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1014 रकबा 1.9300 हैक्टेयर, कुल किता 2 रकबा 4.8900 हैक्टेयर ग्राम पालडी परसा, पटवार हल्का देवलिया, भू–अभिलेख निरिक्षक ठीकरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की सीमाज्ञान रिपोर्ट दि. 09.05.2022 के अनुसार जरिये पुलिस इमदाद स्थाई सीमाचिन्ह कायम किये जाकर पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी कर तलब किया गया। दिनांक 01.12.2023 को अप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड ए.डी.

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Sing
Date: 2024.02.02 10:52:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

नोटिस तामिल उपस्थित नही होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रकरण को बहस हेतु नियत किया गया।

बहस प्रार्थी अधिवक्ता सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार किये जाने का निवेदन किया।

हमने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि प्रार्थी वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1010 व खसरा नम्बर 1014 का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है तथा प्रार्थी का अपनी आराजी कृषि भूमि को सुरक्षित रखना उनका विधिक अधिकार है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहा है जिसका उनको पूर्ण अधिकार है, प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने से पूर्व अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाया है और उसी सीमाज्ञान की फर्द मौका रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी करवाना चाहा है जो विधि अनुकूल एवं न्यायोचित है, ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत् सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि अपने स्तर पर टीम गठित कर प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 1010 रकबा 2.9600 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1014 रकबा 1.9300 हैक्टेयर, कुल किता 2 रकबा 4.8900 हैक्टेयर ग्राम पालडी परसा, पटवार हल्का देवलिया, भू–अभिलेख निरिक्षक ठीकरिया, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की फर्द मौका सीमाज्ञान–रिपोर्ट आदेश दिनांक 09.05.2022 के अनुसार के अनुसार जरिये पुलिस इमदाद स्थाई सीमाचिन्ह कायम किये जाकर पत्थरगढी करें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार सांगानेर को जारी हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.12.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महीपाल सिंह)
आर.ए.एस.
अधिकारी
(सांगानेर)
जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2024.02.02 10:52:45 IST
Reason: SelfAttested